


मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018

मध्यप्रदेश शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्रता अनुसार पात्र पाये गये किसानों के रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख) की सीमा तक का दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(डॉ. राजेश राजेश) 119
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ0कमांक डी 17-16/2018/14-3
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2. उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री कार्यालय ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल ।
4. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
5. विकास आयुक्त, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल ।

(2)

6. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन ।
7. श्री अनुराग जैन, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
8. श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
9. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
10. आयुक्त/विभागाध्यक्ष समस्त विभाग ।
11. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, भोपाल ।
12. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भोपाल,
13. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भोपाल ।
14. क्षेत्रीय प्रबंधक, ग्रामीण बैंक, भोपाल ।
15. जॉनल मैनेजर, समस्त राष्ट्रीकृत बैंक, भोपाल ।
16. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
17. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
18. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मेप-आई.टी. भोपाल ।
19. प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक, भोपाल
20. चरिष्ठ सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, (NIC) भोपाल ।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।



प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग